"संजय बनाम हंसराज आदि" राजस्व वाद संख्याः–393 / 2017

15.5.18 यह पत्रावली आज कैम्प मक्कासर में पेश हुई। अभिभाषक वादी व अभिभाषक प्रतिवादी उप0। वादी व प्रतिवादीगण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा दिनांक 27–12–2017 के अनुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वादपत्र में इन अभिकथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम चक 4 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–159 / 148 में 13.674 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन व इसी चक के खाता संख्या–160 / 154 में 1.265 हैक्टेयर मय गैरमुमनि व चक 7 एस.एन.एम. के खाता संख्या–129 / 133 में 1.265 हैक्टेयर दर्ज है। चूंकि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 से 7 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा वादपत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 से 7 के मध्य अच्छी–मन्दी के हिसाब से घराघरू विभाजन किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या–4 से 6 उपरोक्त कृषि भूमि में अपना कहक व हिस्सा नहीं लेना चाहती और प्रतिवादिया संख्या–4 से 6 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या–1 से के पक्ष में तर्क किया हुआ है। वादी ने यह भी कथन किये कि वादपत्र की चरण संख्या–4 (क) से 4 (ग) में वर्णित अनुसार कृषि भूमि भूमि खातेदार घोषित करते हुये खाता विभाजन किया जावे। वादी ने यह भी कथन किये कि वादी व प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को अच्छी–मन्दी के हिसाब से घरू विभाजन में प्राप्त हुई है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या–2 को चक 7 एस.एन.एम. के खाता संख्या–127 / 130 में कृषि भूमि पूर्व में ही दी हुई जहो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस कारण वादी चरण संख्या–4(क) में वर्णित अनुसार खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

पत्रावली का अवलोकन किया। राजीनामा में वर्णित तथ्यो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया है। वाद पत्र में राजीनामा पेश होकर तस्दीक होने से मुताबिक राजीनाम वाद पत्र डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक राजीनामा खातेदार

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

काश्तकार घोषित किया जाता है। अतःवाद पत्र का कोई विरोध नही होने व पक्षकारो में लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होकर तस्दीक होने से वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। मुताबिक राजीनामा पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन हो तो रहन चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

21.5.18 प्रतिवादी सं. 2 अभिभाषक श्री ओर से प्रा.पत्र 152 CPC पेश करने पर पत्रावली पेशी पे ली गई उक्त प्रा.पत्र को वादी अभिभाषक द्वारा No-objection किया गया है। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र अनुसार लाल निशानी से दुरुस्ती डिक्री में की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

73

(आदेश 20
अज अदालतः–सहायक क
(पीठासीन अ
पीठासीन अधिकारी
संजय
दावा बाबत 88 व 5
यह मुकदम
हं अधिवक्ता–वादी व श्री सुरेन
ाता है कि वादपत्र वादी मुता
सटीजी तहसील हनुमानगढ
कला नम्बर–1, 2/1 में 0.13
0/2 में 0.126 व पत्थर नम्ब
3 व पत्थर नम्बर–101/276
को चक 4 एसटीजी तह
नम्बर–97/276 (68) किला
5–6–15–16, 25 पत्थर नम
तथा इसी चक के खाता
नम्बर–21 से 23, पत्थर नम
हैक्टेयर कुल 4.301 हैक्
संख्या–129/133 पत्थर नम
हैक्टेयर व प्रतिवादिया स
संख्या–159/148 के पत्थ
1.518 हैक्टेयर के खातेद
पारित कर राजस्व अभिले
जाते हैं। बैंक ऋण चुकत
.....लीज
.....खर्चा इस मुकदमे के
आज मेरे हस्ताक्षर व
संजय पुत्र श्री हंसराज

1. हंसराज पुत्र श्री
2. सुभाष पुत्र श्री हं
3. जानीदेवी पत्नि
4. सवीता पुत्री श्री
जिला हनुमानग
5. शारदा पुत्री श्री
तहसील टिब्बी
6. शकुन्तला पुत्री
तहसील पदम

Scanned by CamScanner

(3)

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
संजय बनाम हंसराज आदि
दावा बाबत 88 व 53 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्याः– 393/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री भवानी सिहं अधिवक्ता–वादी व श्री सुरेन्द्र सिहं–अधिवक्ता–प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादी को चक 4 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–159/148 के पत्थर नम्बर–98/271 (28) किला नम्बर–1, 2/1 में 0.139, 9, 10/2 में 0.126, 11/2 में 0.127, 12, 13, 14, 19, 20/2 में 0.126 व पत्थर नम्बर–101/275 (63) के किला नम्बर–1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 व पत्थर नम्बर–101/276 (64) किला नम्बर–7 कुल 6.084 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या–2 को चक 4 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–159/148 के पत्थर नम्बर–97/276 (68) किला नम्बर–24, 25, पत्थर नम्बर–96/277 (71) किला नम्बर–5–6–15–16–20 पत्थर नम्बर–97/277 (72) के किला नम्बर–1, 10/1 10/2 11, 20 तथा इसी चक के खाता संख्या–160/154 के पत्थर नम्बर–97/276 (68) के किला नम्बर–21 से 23, पत्थर नम्बर–96/276 (69) के किला नम्बर–24, 25 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर कुल 4.301 हैक्टेयर व चक 7 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–129/133 पत्थर नम्बर–97/278 (22) के किला नम्बर–5–6–15–16–20 कुल 10265 1.265 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या–3 को चक 4 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–159/148 के पत्थर नम्बर–98/271 (28) के किला नम्बर–3 ता 5, 6 ता 8 कुल 1.518 हैक्टेयर के खाातेदार घोषित किये जाते है तथा उक्तानुसार खाता विभाजन की डिक्री पारित कर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर रकमराज अलग क़ायम करने आदेश दिये जाते हैं। बैंक ऋण चुकता होने पर राजस्व अभिलेख में डिक्री अमलदरामद किया जावे।

....मुबलिग...... × ......बातत × ......
.........×.........लीज......................×.........................से तारीख वसुलयाबी......
....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह......14.5.18..................
....

आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 14–05–2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

संजय पुत्र श्री हंसराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
––वादी––

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
2. सुभाष पुत्र श्री हंसराज जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. जानीदेवी पत्नि श्री हंसराज जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
4. सवीता पुत्री श्री हंसराज पत्नि श्री मनोज सहु जाति जाट निवास सहूवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़–
5. शारदा पुत्री श्री हंसराज पत्नि श्री अशोक कुमार बेनीवाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ–
6. शकुन्तला पुत्री श्री हंसराज पत्नि श्री रामेश्वरलाल जाखड़ जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिल श्री गगांनगर।
7. सन्तो पुत्री श्री हंसराज कुतरती वलीया श्री हंसराज जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ–
8. एच.डी.एफ.सी. बैक शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक–
9. बैक ऑफ महाराश्ट्रा शाखा हनुमानढग टाउन जरिये शाखा प्रबन्धका–
10. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़–

––प्रतिवादीगण––

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner